

राजस्थान सरकार

## कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्र. एफ 5/अभि./सीटीएडी/खेल सुविधा विकास/18-19/ 27838-48 दिनांक : 12.07.19

परियोजना अधिकारी

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,

डूंगरपुर।

विषय : रा.उ.मा.वि, रामपुर में खेल सुविधा विकास संबंधित निर्माण कार्य की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय पत्रांक 11449-54 दिनांक 06.03.2019 द्वारा रा.उ.मा.वि, रामपुर में खेल सुविधा विकास संबंधित निर्माण कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति राशि रु. 27.95 लाख की जारी की गई एवं कार्यकारी एजेन्सी ग्राम पंचायत को नियुक्त किया गया।

प्रशासनिक स्वीकृति के क्रम में निम्नलिखित कार्य की पंचायत समिति डूंगरपुर से तकनीकी स्वीकृति मय तकमीना राशि 30.00 लाख प्राप्त होने से निम्नांकित तालिका के कॉलम सं.-7 में वर्णित राशि अनुसार संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है-

कार्यकारी एजेन्सी-ग्राम पंचायत

क्र.स.	कार्य का नाम	ग्रा.पं.	पंसा.	प्रशा.स्वी. राशि	(राशि लाख रु. में)	
					तकनीकी स्वीकृति क्र/दि	राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	खेल मैदान निर्माण कार्य- रा.उ.मा. वि. रामपुर (स्टेडियम निर्माण आदि)	सती रामपुर	डूंगरपुर	27.92	ee /zpl pr/01/ 24.06.19	29.41

उपरोक्त कार्य पर राशि का व्यय संविधान की धारा 275(1) मद अन्तर्गत शासन की स्वीकृति संख्या-15/2018-19 द्वारा खेल सुविधाओं का विकास हेतु प्राप्त राशि में से होगा। यह राशि आयुक्तालय के पी.डी. खाते में उपलब्ध है।

खेल मैदान निर्माण कार्य-रा.उ.मा.वि. रामपुर (स्टेडियम निर्माण आदि) के कार्य संपादन हेतु खेल विशेषज्ञों की सहायता ली जाना सुनिश्चित करें।

शर्तें-


- यदि कोई कार्य अन्य किसी स्रोत से पूर्व में स्वीकृत हो गया हो तो अविलम्ब सूचित करें। यदि दोहरा व्यय होता है तो इसकी जिम्मेदारी कार्यकारी एजेन्सी की रहेगी।
- राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यों पर ही तकमीना एवं तकनीकी स्वीकृति अनुसार किया जावे। तकनीकी स्वीकृति के क्रम में जारी कार्यादेश एवं अन्य नियमानुसार राशि से अधिक व्यय इस विभाग की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जावे।
- राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012, संशोधन 2013 एवं सामान्य लेखा व वित्तीय नियमों की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन तकनीकी स्वीकृति के अनुसार गुणवत्ता पूर्वक किया जावे।
- स्वीकृत कार्यों का third party inspection समय-समय पर करवाया जायेगा। inspection के समय आवश्यक सूचनाएं कार्यकारी एजेन्सी द्वारा निरीक्षण दल को उपलब्ध करवाई जावेगी। निरीक्षण में पाई गई कमियों को दुरस्त/ठीक करने की जिम्मेदारी कार्यकारी एजेन्सी की होगी।
- कार्य के गुणवत्ता पूर्वक कराने की जिम्मेदारी तकनीकी स्वीकृति जारी कर्ता की होगी।
- कार्य पूर्ण होने पर उपयोगिता व कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र के साथ बचत राशि जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग को पुनः लौटाई जावे।
- कार्य प्रारंभ करने से पूर्व प्रगति पर एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटोग्राफ विभाग को प्रेषित किये जावे एवं स्वीकृत कार्य की geo-tagging कर soft copy में comm.tad@gmail.com पर प्रेषित कराना सुनिश्चित करावे।

भवदीय

(अंजली राजोरिया) I.A.S  
अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय)

क्र. एफ 5/अभि./सीटीएडी/खेल सुविधा विकास/18-19/27838-48 दिनांक : 12.07.19  
प्रतिलिपी :-सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

1. विशिष्ट सहायक, मां.मंत्री महो. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, डूंगरपुर ।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद डूंगरपुर।
5. वित्तीय सलाहकार कार्यालय हाजा संविधान की धारा 275(1) मद अन्तर्गत शासन की स्वीकृति संख्या-15/2018-19 द्वारा खेल सुविधाओ का विकास हेतु प्राप्त राशि मे से राशि रु. 29.41 लाख की 60 प्रतिशत राशि रु. 17.65 लाख परियोजना अधिकारी जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग डूंगरपुर को हस्तान्तरित करे।
6. निदेशक मोनिटरिंग कार्यालय हाजा।
7. कम्प्यूटर शाखा कार्यालय हाजा।
8. अधिशाषी अभियंता, जिला परिषद डूंगरपुर को उनके तकनीकी स्वीकृति पत्र क्रमांक dpr/01/ 24.06.19 के क्रम में लेख है कि स्वीकृत कार्य तकनीकी स्वीकृति अनुसार गुणवत्तापूर्वक सम्पन्न कराया जाना सुनिश्चित करे।
9. विकास अधिकारी पंचायत समिति डूंगरपुर जिला डूंगरपुर ।
10. गार्ड फाईल ।

  
 अतिरिक्त अधिकृत (द्वितीय)  
 जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग  
 उदयपुर (राज.)